राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(5)गृह–1/2021 जयपुर, दिनांक : 11.01.2022

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखला की वर्ष 2021–22 की नियमिति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 27.10.2021 के समय श्री सचिन शर्मा/सुरेश चन्द शर्मा (सामान्य) पुलिस निरीक्षक के विरूद्व एसीबी प्रकरण संख्या 464/2019 मा0 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के बिन्दु संख्या 12.03 के अनुसार फौजदारी प्रकरण उस स्थिति में लम्बित माना जावेगा जब सक्षम न्यायालय में राजसेवक के विरूद्व इस्तगासा अथवा चालान (report of police) प्रस्तुत कर दिया गया हो एवं न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान लिया गया हो। श्री सचिन शर्मा के विरूद्व ना तो न्यायालय में चालान पेश हुआ है एवं ना ही न्यायालय द्वारा उसका प्रसंज्ञान लिया है तथा अभियोग संख्या 464/2019 धारा 166, 166ए आईपीसी थाना अशोक नगर, जयपुर (दक्षिण) में बाद अनुसंधान नतीजा एफआर नं. 45/2020 दिनांक 20.06.2020 अदम वकू आमदन झूठ में किता की जाकर एफआर दिनांक 20.07.2020 को मा. न्यायालय एस0एम0 क्रसं. 11, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर के समक्ष पेश की जा चुकी है। अतः राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला की वर्ष 2021–22 की दिनांक 27.10.2021 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री सचिन शर्मा/सुरेश चन्द शर्मा (सामान्य), पुलिस निरीक्षक को राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2021–22 में दिनांक 01.09.2021 की रिक्ति के प्रति एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री सचिन शर्मा, पुलिस निरीक्षक की वरिष्ठता श्री विवेक सिंह राव/नारायण सिंह, (सामान्य) के नीचे एवं श्री राकेश कुमार वर्मा/रमेश चन्द्र, (सामान्य) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री सचिन शर्मा/सुरेश चन्द शर्मा (सामान्य), पुलिस निरीक्षक अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा श्री शर्मा को रिक्ति दिनांक 01.09.2021 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह0/–

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

11/01/2022

(गुरू प्रसाद शर्मा)
सहायक शासन सचिव, पुलिस